उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ

बींसवीं शताब्दी की उत्तर प्रदेशीय संस्कृत विद्वत् परम्परा का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य

शर्तें, कार्य का विषय क्षेत्र तथा प्रकृति, शोध एवं सर्वेक्षण की प्रविधि तथा समयाविध अधोलिखित 45 जनपदों में बींसवीं शताब्दी की उत्तर प्रदेशीय संस्कृत विद्वत् परम्परा का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य कराया जाना है। इन जनपदों में मार्गदर्शक का कार्य करने के इच्छुक विद्वानों से आवेदन प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित है। आवेदन की अंतिम तिथि 16.03.2024 है। यह आवेदन गूगल फार्म लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदकों के वायोडाटा तथा कार्यानुभव के आधार पर उन्हें इस योजना में मार्गदर्शन देने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। एक मार्गदर्शक एक से अधिक जनपदों के संस्कृत विद्वत् परम्परा का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य करा सकेंगे।

नामित किए गए मार्गदर्शक अपने विवेक से संस्कृत विषय में परास्नातक कक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को गवेषण कार्य में योजित कर सकेंगें। वे इसकी सूचना उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कार्यालय को देंगें। अधोलिखित जनपदों के संस्कृत विद्वानों का जीवनी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर गणेषण कार्य होना है। आवेदन में इन जनपदों के चयन का विकल्प उपलब्ध है।

1	अमरोहा	18	बरेली	35	ललितपुर
2	अमेठी	19	बलिया	36	वाराणसी
3	आजमगढ़	20	बस्ती	37	शामली
4	उन्नाव	21	बांदा	38	शाहजहाँपुर
5	एटा	22	बाग़पत	39	श्रावस्ती
6	कन्नौज	23	बुलन्दशहर	40	संत रविदास नगर
7	कानपुर नगर	24	मऊ	41	सहारनपुर
8	गाजियाबाद	25	मथुरा	42	सिद्धार्थनगर
9	गाजीपुर	26	महाराजगंज	43	सोनभद्र
10	गौतम बुद्ध नगर	27	महोबा	44	हमीरपुर
11	चंदौली	28	मिर्जापुर	45	हाथरस
12	चित्रकूट	29	मुजफ्फरनगर		
13	पीलीभीत	30	मुरादाबाद		
14	प्रतापगढ़	31	मेरठ		
15	प्रयागराज	32	रामपुर		
16	फर्रुखाबाद	33	रायबरेली		
17	बदायूँ	34	लखनऊ		

सौंपे गए जनपदों के कार्य पूर्ण होने पर एक मार्गदर्शक को सम्बन्धित जनपद/ जनपदों के पूर्ण कार्य हेतु एकमुश्त रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) तथा 01 गवेषक को एक जनपद में सर्वेक्षण हेतु एकमुश्त रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र अध्येतावृत्ति दिया जाएगा। शर्तें, कार्य का विषय क्षेत्र तथा प्रकृति, शोध एवं सर्वेक्षण की प्रविधि तथा समयाविध का उल्लेख निम्नानुसार है-

कार्य का विषय क्षेत्र तथा प्रकृति

वर्ष 1901 से 1999 के मध्य वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा में जन्म लिये अथवा अन्य देश/प्रदेश में जन्म लेकर उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश की सीमा में रहते हुए संस्कृत विद्या के संवर्धन में उल्लेखनीय कार्य किये विद्वानों की जीवनी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का जनपदवार संकलन कर कार्यादेश मिलने के उपरांत 3 माह से 6 माह के भीतर लेखबद्ध किया जाना है। पूर्व में किए गए कार्य का नमूना https://sanskritvidwan.com पर द्रष्टव्य है।

मार्गदर्शक का कार्य

- 1. मार्गदर्शकों हेतु निर्धारित जनपद की वर्तमान सीमा में जिन विद्वानों ने जन्म लिया हो अथवा अन्य देश/प्रदेश के भूभाग में जन्म लेकर उस जनपद की सीमा में रहकर संस्कृत विद्या के संवर्धन में उल्लेखनीय कार्य किये हों, ऐसे विद्वानों की सूची तैयार करना।
- 2. जनपदों हेतु नामित मार्गदर्शक सम्बन्धित जनपद में सर्वेक्षण कार्य के लिए एक गवेषकों को नामित करते हुए संस्थान को सूचित करना। गवेषक की न्यूनतम योग्यता संस्कृत में परास्नातक निर्धारित है।
- 3. सम्पादकों एवं प्रधान सम्पादक द्वारा सर्वेक्षण हेतु निर्मित प्रारूप पर गवेषकों के माध्यम से अधिकतम सूचनाओं को संकलित कराना तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर लेखबद्ध करना।
- 4. गवेषक द्वारा सर्वेक्षण के क्रम में मार्गदर्शक द्वारा निर्मित सूची के अतिरिक्त अन्य विद्वानों के नाम, उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व की जानकारी मिलने पर जनपद के विद्वानों की सूची को अद्यतन करना। अधिकाधिक विद्वानों के नाम संकलन हेतु गवेषक को प्रोत्साहित करना।
- 5. प्रतिमाह संकलित सूचनाओं की प्रगति आख्या से सम्पादक मण्डल तथा संस्थान को अवगत कराना।
- 6. प्रधान सम्पादक तथा सम्पादक मंडल से परामर्श करते हुए कार्य करना।
- 7. संकलित सर्वेक्षण पत्रों के आधार पर लिखित आलेख तथा सर्वेक्षण पत्रों को संस्थान कार्यालय में उपलब्ध कराना।
- 8. मा. अध्यक्ष, निदेशक अथवा संस्थान द्वारा सूचनायें मांगने पर उपलब्ध कराना। शर्तें
- 1. इस योजना के कार्य का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा, जो कि कार्य संतोषजनक पाये जाने तथा पूर्ण होने के उपरान्त किया जाएगा।
- 2. मार्गदर्शकों तथा गवेषकों को योजना के कार्यों के लिए आवागमन करने के लिए मार्गव्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा, एतदर्थ निर्धारित मानदेय ही देय होगा।
- 3. मार्गदर्शकों तथा गवेषकों के कार्य में शिथिलता पाये जाने या अत्यधिक विलम्ब करने की स्थिति में संस्थान के निदेशक अथवा अध्यक्ष द्वारा कभी भी हटाया जा सकेगा।
- 4. एक मार्गदर्शक को सम्बन्धित जनपद/ जनपदों के पूर्ण कार्य हेतु रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) तथा 01 गवेषक को एक जनपद में सर्वेक्षण हेतु रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र अध्येतावृत्ति दिया जाएगा।
- 5. प्रत्येक गवेषक अपने मार्गदर्शक के निर्देशन में सम्पादक मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सर्वेक्षण कार्य करेंगे। 6. किसी जनपद में विद्वानों तथा संस्कृत सेवी संस्थाओं की संख्या 50 से अधिक होने पर रूपये 250/- (रूपये दो सौ पचास) मात्र प्रति विद्वान/संस्कृत स्वयंसेवी संस्था की दर से गवेषक को भुगतान किया

जायेगा अथवा 50 विद्वानों की जीवनी से अतिरिक्त विद्वानों के व्यक्तित्व कृतित्व के सर्वेक्षण की स्थिति में सम्पादक मण्डल की सहमति से 01 अतिरिक्त गवेषक को नामित किया जा सकता है।

7. गवेषक को वचन देना होगा कि उसके द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्र में प्रदत्त सूचना गलत पाये जाने पर वह संस्थान द्वारा प्रदत्त मानदेय वापस कर देगा।

परियोजना समन्वयक का कार्य

- 1. मुख्यालय लखनऊ में रहते हुए बीसवीं शताब्दी में उत्तर प्रदेशीय विद्वत् परम्परा विषयक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के लिए सूचना के आरम्भिक स्रोतों को संकलन करना। इनमें प्रकाशित शोध प्रबन्ध, पत्रिकाएँ, निदर्शिनी आदि के संकलन का कार्य करना।
- 2. सर्वेक्षण हेतु निर्मित प्रारूप को मार्गदर्शकों के माध्यम से गवेषकों तक पहुँचाना।
- 3. गवेषकों, मार्गदर्शकों, सम्पादकों एवं प्रधान सम्पादक के बीच निरन्तर सम्पर्क स्थापित करते हुए कार्यों के सुचारु संचालन के लिए समन्वय स्थापित करना।
- 4. एक से अधिक जनपद में रह चुके विद्वानों की सूचना सम्बन्धित जनपद के अन्य गवेषकों तक पहुँचाना।
- 5. संकलित सर्वेक्षण पत्रों एवं कार्यों का समय- समय पर पुनरीक्षण करना/ सम्पादकों से कराना ताकि सम्बन्धित जनपद से कोई विद्वान् अवशेष न रहें।
- 6. मार्गदशर्कों से सूचनायें संकलित कर उसकी प्रगति आख्या से सम्पादक मण्डल को अवगत कराना।
- 7. सम्बन्धित जनपद में अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो जाने पर उसे मार्गदर्शक के माध्यम से लेखबद्ध तैयार कराना।
- 8. मा. अध्यक्ष, निदेशक अथवा संस्थान द्वारा योजना से सम्बन्धित व्यक्तियों/ कार्यों के बारे में मांगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराना व सौंपे गए अन्य कार्यों को करना।

परियोजना समन्वयक के लिए मानदेय, समयावधि एवं शर्तें

- 1. परियोजना समन्वयक को प्रतिमाह रुपये 15000.00 (रु.पन्द्रह हजार मात्र) अध्येतावृत्ति दिया जाएगा।
- 2. परियोजना समन्वयक को संस्कृत विषय में शोध कार्य का अनुभव तथा कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए।
- 3. योजना से सम्बन्धित कार्यों के लिए संस्थान द्वारा लखनऊ से बाहर प्रेषित किए जाने पर साधारण बस/ शयनयान ट्रेन के किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- 4. परियोजना समन्वयक को आरंभ में दो माह की अवधि के लिए योजित किया जाएगा । कार्य की आवश्यकता को देखते हुए समय-समय पर अवधि को विस्तारित/ पुनर्योजित किया जा सकेगा।
- 5. परियोजना समन्वयक द्वारा उपर्युक्त कार्यों के सुचारु संचालन में असफल रहने अथवा शिथिलता पूर्ण कार्य करने पर संस्थान के निदेशक अथवा अध्यक्ष द्वारा कभी भी हटाया जा सकेगा।
- 6. परियोजना समन्वयक कभी भी नियमित नियुक्ति अधियाचना नहीं करेंगें।

निदेशक